

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
—/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण। | :- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम
खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। |
| | (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास
के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | :- संलग्न है। |
| | (ग) परियोजना की लागत। | :- |
| | (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना। |
| | (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) | :- लागू नहीं |
| | (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों
को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस। |
| 2. | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: | :- |

सिविल सोयम भूमि	:—	0.120
आरक्षित वनभूमि	:—	0.770
योग	:—	0.890

- | | | | |
|----|--|----|---------------|
| 3. | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है | :- | लागू नहीं है। |
| | (क) परिवारों की संख्या | :- | <u>रिक्त</u> |
| | (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के | :- | <u>रिक्त</u> |
| | (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | :- | <u>रिक्त</u> |
| 4. | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) | :- | |
| 5. | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) | :- | संलग्न है। |
| 6. | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। | :- | संलग्न है। |

दिनांक 22/09/2017

स्थान उत्तरकाशी

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्तक्षारता

नाम— पी०एम०— सि०वाई०, उत्तरकाशी

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग-1।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की संख्या-PF/UK/ROAD/32670/2018

- 7 परियोजना का नाम:- बादसी गोलोक धाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटरखन मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड।
- ii) जिला उत्तरकाशी।
- iii) वन प्रभाग वन प्रभाग उत्तरकाशी।
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) 0.120 हे० सिविल सोयम, तथा 0.770 हे० आरक्षित वन भूमि हेतु कुल 0.89 हे०।
- v) वन की कानूनी स्थिति आरक्षित वन भूमि तथा सिविल सोयम भूमि।
- vi) हरियाली का घनत्व घनत्व 0.5
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० -8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए। वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है।
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। प्रस्तावित मार्ग का समरेखण वन सीमा के अन्दर है।
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हार्थी कारोडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया। अनुबन्धित की जाए) नहीं है।
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। क्षेत्र में बांज के 27 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रस्ताव में बांज के वृक्ष हेतु A.N.R.(सहायित प्राकृतिक पुनरोत्पादन) को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्राणिजात की विशिष्ट प्रजातियां जैसे तेन्दुआ, गुरल, सियार आदि पाई जाती है। जिस हेतु प्रस्ताव में वन्य जीव प्रबन्धन योजना को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय /पारस्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या नहीं है।
- 8 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 0.89 हे० सिविल सोयम भूमि व आरक्षित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य/न्यूनतम है।
- 9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। नहीं है।
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा-
- i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या। संलग्न है।
- ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्डों का आकार। संलग्न है।

- iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र से इनकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्डों का आकार संलग्न है।
- vi) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्य संलग्न है।
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12 प्रभाग/जिला प्रोफाइल प्रकरण वन प्रभाग उत्तरकाशी से सम्बन्धित है।
i) जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 801600.00 हैक्टेयर
ii) जिला का वन क्षेत्र। 695783.35 हैक्टेयर
iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 261 मामले तथा 879.1133 हैक्टेयर
iv) 1980 से जिला/प्रभाग से निर्धारित कुल प्रतिकुल वनीकरण।
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर अब तक रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक 577.50 है0
- v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 577.50 है0
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

कार्यकारी संस्था द्वारा वन संरक्षक की समुचित सुझावों की जाँच, अतः संस्तुति सहित अग्ररूपित।

स्थान - उत्तरकाशी
दिनांक 25/10/2018

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

भाग - III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/32670/2018

प्रस्ताव का नाम—प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी से गोलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-II में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। — हाँ
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तकाशी वन प्रभाग के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में दी गई सूचनाओं एवं टिप्पणी के आधार पर उक्त वर्णित मोटर मार्ग हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ संस्तुति प्रदान की जाती है कि परियोजना हेतु प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं वृक्ष प्रभावित न होने पाये।

तिथि— 25.05.2019
स्थान— मुनिकीरेती।


(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त